भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 730
24 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत हुई प्रगति

730 # श्रीमती साधना सिंहः
डा.कविता पाटीदार:
श्री मयंककुमार नायकः
श्री रामराव सखाराम वाडकुटेः
श्री बंशीलाल गुर्जर:
श्री बृज लालः
डा. कल्पना सैनी:
श्री चुन्नीलाल गरासियाः
श्री सुभाष बराला:
श्री एस. सेल्वागनबेथी
श्रीमती माया नारोलियाः
श्री राजीब भट्टाचार्जी
श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्री रायगा कृष्णैयाः
श्री लहर सिंह सिरोया:
श्री मिथलेश कुमारः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना एवं मूल्य संवर्धन सुविधाओं के सृजन में अब तक क्या प्रगति हुई है;
(ख) योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित संस्वीकृत एवं पूर्ण की गई परियोजनाओं तथा उनसे सृजित रोजगार का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने और विशेषकर महाराष्ट्र के खानदेश और मराठवाड़ा क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, निर्यात तथा इस क्षेत्र के विकास पर योजना का क्या समग्र प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में पीएमकेएसवाई योजना की प्रगति का विवरण **अनुबंध-I** में है।

(ख) दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 1735 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1256 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिससे देश भर में 9.16 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इनमें से 260 परियोजनाओं को महाराष्ट्र में स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 192 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिससे 1.77 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। महाराष्ट्र के लिए जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) एवं (घ) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं, महाराष्ट्र के खानदेश और मराठवाड़ा क्षेत्र सहित देश भर में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिसका उद्देश्य फसलोत्तर नुकसान को कम करना और मूल्यवर्धन को बढ़ाना है। खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और अधिक आय प्राप्त होती है। पीएमकेएसवाई एक मांग-आधारित योजना है और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित सभी पात्र आवेदकों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसान-उत्पादक संबंधों को मजबूत करने हेतु, पीएमकेएसवाई एफपीओ को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ सामान्य श्रेणी के आवेदकों की तुलना में पात्रता शर्तों, जैसे कि कम इक्विटी योगदान, कम न्यूनतम बैंक ऋण आवश्यकता और कम नेट-वर्थ आवश्यकता में छूट दी गई है।

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1256 परियोजनाएं परिचालन में हैं, जिससे लगभग 37.76 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है और 294.21 एलएमटी प्रति वर्ष की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण हो रहा है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो रहा है, मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिल रहा है, और खाद्य उत्पादों के समग्र निर्यात और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में योगदान मिल रहा है।

अनुबंध- I

दिनांक 24.07.2026,को उत्तर हेतु विषय: "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत हुई प्रगति" के संबंध में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 730 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई योजना की राज्य-वार प्रगति					
क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत परियोजनाएं**	**पूर्ण/परिचालन परियोजनाएं**	**प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता (एलएमटी/वर्ष)**	**किसानों को लाभ**
1	अंडमान और निकोबार	2	1	0.29	9552
2	आंध्र प्रदेश	82	47	14.93	309008
3	अरुणाचल प्रदेश	12	2	0.14	9589
4	असम	97	79	11.73	48119
5	बिहार	17	6	7.62	29912
6	चंडीगढ़	3	3	0.00	0
7	छत्तीसगढ़	12	6	2.61	19264
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1	0.05	120
9	दिल्ली	22	21	0.00	0
10	गोवा	2	2	0.06	54
11	गुजरात	128	96	24.97	371157
12	हरियाणा	104	85	12.65	180360
13	हिमाचल प्रदेश	45	38	4.39	142239
14	जम्मू और कश्मीर	41	30	2.00	53203
15	झारखंड	2	2	0.00	0

16	कर्नाटक	110	81	12.84	145076
17	केरल	58	40	5.13	54960
18	लद्दाख	0	0	0.00	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0
20	मध्य प्रदेश	51	34	9.46	113445
21	महाराष्ट्र	260	192	79.10	687277
22	मणिपुर	6	5	0.09	9650
23	मेघालय	8	6	0.12	55
24	मिजोरम	4	4	0.58	19950
25	नागालैंड	4	2	0.35	9552
26	उड़ीसा	33	22	4.88	57135
27	पुडुचेरी	2	2	0.00	0
28	पंजाब	79	60	15.35	214845
29	राजस्थान	61	37	8.61	139152
30	सिक्किम	1	1	0.00	0
31	तमिलनाडु	171	117	14.67	372174
32	तेलंगाना	73	44	18.42	112469
33	त्रिपुरा	9	9	1.40	564
34	उत्तर प्रदेश	103	83	19.94	243407
35	उत्तराखंड	72	53	13.16	303072
36	पश्चिम बंगाल	60	45	8.66	121035
	कुल	**1735**	**1256**	**294.21**	**3776395**

अनुबंध- II

दिनांक 24.07.2026,को उत्तर हेतु विषय: "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत हुई प्रगति" के संबंध में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 730 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

महाराष्ट्र में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और सृजित रोज़गार की ज़िला-वार संख्या				
क्र.सं.	**ज़िला**	**स्वीकृत परियोजनाएं**	**पूर्ण/परिचालन परियोजनाएं**	**रोजगार के अवसरों की संख्या**
1	अहमदनगर	12	6	19600
2	अमरावती	4	2	4226
3	औरंगाबाद	14	10	5424
4	बीड	5	2	3129
5	भंडरा	1	0	879
6	चंद्रपुर	1	1	1955
7	पश्चिम चेंबूर	1	1	0
8	धुले	3	3	1330
9	हिंगोली	1	1	51
10	जलगांव	4	1	179
11	कोल्हापुर	11	11	8088
12	लातूर	2	1	2395
13	माटुंगा, मुंबई	4	4	0
14	मुंबई	12	12	4132
15	मुंबई उपनगर	3	3	0
16	नागपुर	26	23	18225
17	नांदेड़	6	6	3692

18	नंदुरबार	3	1	1330
19	नासिक	41	31	51528
20	नवी मुंबई	8	7	6123
21	उस्मानाबाद	1	0	1955
22	पालघर	4	2	4261
23	परभणी	1	1	59
24	पुणे	30	23	32653
25	रायगढ़	9	7	16749
26	रत्नागिरी	1	1	0
27	सांगली	10	6	11280
28	सतारा	17	10	12325
29	सोलापुर	9	4	15167
30	श्रीरामपुर	1	1	1955
31	थाणे	11	9	6087
32	वर्धा	1	0	3441
33	वाशिम	3	2	533
	कुल	**260**	**192**	**238751**
